**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**व्यय विभाग**

**लोक सभा**

**लिखित प्रश्न संख्या – 3700**

***सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक)***

**राज्यों के ऋण और देयताएं**

**3700. श्री मनीश तिवारीः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 मार्च, 2025 तक देश के विभिन्न राज्यों के ऋण और अन्य देयताओं की मात्रा कितनी है तथा सभी राज्यों के संयुक्त ऋण और देयताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 2025 तक सरकार के कुल ऋण और बकाया देनदारियां कितनी हैं;

(ग) देश के पांच राज्यों का ब्यौरा क्या है, जिनका ऋण-से-जी.एस.डी.पी. अनुपात क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी राज्यों का संयुक्त ऋण-से-जी.डी.पी. अनुपात सरकार के ऋण-से-जी.डी.पी. अनुपात से किस प्रकार तुलनीय है; और

(ङ) क्या सरकार ने राज्य के वित्त पर ऑफ-बजट और उधारी तथा आकस्मिक देनदारियों के प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)**

(क) से (घ): दिनांक 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों के ऋण एवं अन्य देयताओं की मात्रा का पता, वित्त वर्ष 2024-25 के अंत होने के बाद ही चलेगा। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 'राज्य वित्तः बजट का अध्ययन' में प्रकाशित सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक विभिन्न राज्यों की अनुमानित ऋण एवं अन्य देयताएं तथा राज्य–वार ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात घटते क्रम में **अनुबंध** में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों की अनुमानित संयुक्त देयताएं 2,67,35,462 करोड़ रुपए है। केन्द्र सरकार के ऋण से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात तथा सभी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) का ऋण से जीएसडीपी के अनुपात का रुझान निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(प्रतिशत में)

| वर्ष | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 (संशोधित अनुमान) |
|---|---|---|---|---|---|
| राज्य एवं संघ-राज्य क्षेत्र | 26.6 | 31.0 | 29.1 | 28.2 | 28.5 |
| केन्द्र सरकार | 52.3 | 61.4 | 58.8 | 57.9 | 58.1 |

(ङ): सभी राज्यों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम बनाए हैं। राज्य एफआरबीएम के अनुपालन की निगरानी संबंधित राज्य विधान मंडलों द्वारा की जाती है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत राज्यों द्वारा उधारी को अनुमोदित करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यों के राजकोषीय घाटे के लिए समान मापदंड का अनुपालन करता है। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में प्रत्येक राज्य की सामान्य निवल उधारी सीमा (एनबीसी) निर्धारित की जाती है। पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा ली गई अधिक उधारी, यदि कोई हो, का समायोजन उत्तरवर्ती वर्षों की उधारी सीमाओं में किया जाता है।

कुछ राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, विशेष प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) और अन्य समकक्ष तंत्रों द्वारा बजटेतर उधार लेने के उदाहरण, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से चुकाया जाता है, वित्त मंत्रालय के संज्ञान में आए थे। इस तरह की उधारियों द्वारा राज्यों के एनबीसी को दरकिनार करने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, मार्च, 2022 में यह निर्णय लिया गया और राज्यों को सूचित किया गया कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों, विशेष प्रयोजन तंत्रों (एसपीवी) और अन्य समकक्ष तंत्रों, जहां मूलधन और/या ब्याज राज्य के बजट से और/या करों/उपकर या किसी अन्य राज्य के राजस्व के असाइनमेंट द्वारा चुकाया जाता है, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत राज्य द्वारा स्वयं ली गई उधारी के रूप में सहमति जारी करने के उद्देश्य से माना जाएगा।

******

**दिनांक 24.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 3700 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में संदर्भित अनुबंध**

31 मार्च, 2025 तक सभी राज्यों की अनुमानित बकाया देयताएं और सभी राज्यों का ऋण से जीएसडीपी अनुपात घटते क्रम में

| क्र.सं. | राज्य | अनुमानित बकाया देयताएं (करोड़ रुपए में) | ऋण से जीएसडीपी का अनुपात (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 25,464 | 57.0 |
| 2 | पंजाब | 3,78,453 | 46.6 |
| 3 | हिमाचल प्रदेश | 1,02,594 | 45.2 |
| 4 | नागालैंड | 20,197 | 40.0 |
| 5 | मेघालय | 23,145 | 39.0 |
| 6 | पश्चिम बंगाल | 7,14,196 | 38.0 |
| 7 | बिहार | 3,61,522 | 37.3 |
| 8 | केरल | 4,71,091 | 36.8 |
| 9 | मणिपुर | 19,917 | 36.7 |
| 10 | राजस्थान | 6,37,035 | 35.8 |
| 11 | सिक्किम | 19,038 | 35.0 |
| 12 | आंध्र प्रदेश | 5,62,557 | 34.7 |
| 13 | उत्तर प्रदेश | 8,57,844 | 31.8 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4,80,976 | 31.6 |
| 15 | मिजोरम | 14,201 | 31.6 |
| 16 | हरियाणा | 3,69,242 | 30.4 |
| 17 | तमिलनाडु | 9,55,691 | 30.3 |
| 18 | गोवा | 35,724 | 30.2 |
| 19 | छत्तीसगढ़ | 1,63,266 | 29.1 |
| 20 | त्रिपुरा | 26,607 | 27.9 |
| 21 | असम | 1,77,983 | 27.5 |
| 22 | झारखंड | 1,34,867 | 26.6 |
| 23 | कर्नाटक | 7,25,456 | 26.5 |
| 24 | तेलंगाना | 4,42,298 | 26.2 |
| 25 | उत्तराखंड | 95,408 | 24.2 |
| 26 | महाराष्ट्र | 8,12,068 | 19.0 |
| 27 | गुजरात | 4,94,436 | 17.9 |
| 28 | ओडिशा | 1,54,960 | 16.3 |

*******